उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-प्र0स0-129/एक-1-2015-1(16)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 29 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, पुनर्ग्रहण करते हुए विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कन्नौज	तिर्वा	तिर्वा	अलीपुर अहाना	591	0.749	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हेतु।
2					722	3.642	
3					737	4.302	
4					747	3.185	
5					748	0.882	
6					594	0.040	
7					592	0.020	
8					707	0.073	
9					710	0.057	
10					719	0.057	
11					678	0.101	
12					704	0.053	
13					705	0.247	
14					708	0.024	
15					711	0.028	

shasnadesh.up.nic.in

16					716	0.121	

-2-

17					717	0.259	
18					160	0.024	
19					721	0.053	
20					727	0.186	
				योग	**कुल 20 गाटा**	**14.103 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-प्र0स0-129(1)/एक-1-2015-1(16)/2015, तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, कन्नौज को उनके पत्र संख्या-344/डी0एल0आर0सी0-विशिष्ट मण्डी स्थल-ग्रा0स0-भूमि/2015, दिनाँक 27.06.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. ग्राम सभा की कुल भूमि 20 गाटा रकबा 14.103 हे0 का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

3. उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या प्र0स0-474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-प्र0स0-129(2)/एक-1-2015-1(16)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

shasnadesh.up.nic.in

3- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर ।

4- गार्ड फाईल। आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in